[2021] 2 एस. सी. आर. 1020

भीमा राजू प्रसाद

वी.

स्टेट, आरईपी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा,

सी. बी. आई./एस. पी. ई./ए. सी. यू-II

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 305)

12 मार्च, 2021

[मोहन एम. शांतनागौदर और

वाइन सारन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.195 (1) (b)-दंड

एस. 13 (2) आर/डब्ल्यू। पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी)-इसके बाद, प्रतिवादी जांच एजेंसी ने अपीलार्थी के आवास पर तलाशी ली और आभूषणों और संपत्ति के कागजातों के अलावा 65,900/- की राशि पाई गई संपत्ति अपीलार्थी की आय के ज्ञात स्रोतों से असमान पाई गई-एक और अलग मामला यू/एस दर्ज किया गया था। 13 (2) आर/डब्ल्यू। पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी)-जाँच के दौरान अभियुक्त नं. 2 दावा किया कि उसने प्रवेश किया था

अभियुक्त सं. से संपत्ति खरीदने के लिए बिक्री का समझौता। 3 और चूंकि वह (आरोपी संख्या 2) समझौते के निष्पादन की तारीख को उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने रुपये की राशि सौंपी थी। 80 लाखों में

अभियुक्त नं. 1 - चूंकि, आरोपी नं. 1 घर पर छापा मारा गया, पैसे का भुगतान नहीं किया गया और बिक्री के समझौते को निष्पादित नहीं किया गया-इसलिए, नहीं। 2 और 3 ने धन की वसूली की मांग की-हालांकि, प्रतिवादी-जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि उक्त संपत्तियों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य Rs.80 लाख से बहुत कम था-डाक टिकट विक्रेता/आरोपी नं. 4 , जिनके माध्यम से बिक्री विलेख के स्टाम्प पेपर जारी किए गए थे, उन्हें वर्ष 1992 में रद्द कर दिया गया था और बिक्री विलेख वर्ष 2001 में जारी किया गया था-इसलिए, प्रतिवादी-जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी नं। 1

अभियुक्त नं. के साथ साजिश रची। 2-4 में कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहने के उद्देश्य से बिक्री के लिए समझौते के झूठे विलेख को गढ़ना आय से अधिक संपत्ति का मामला-आरोप तय किए गए थे

- द.

अभियुक्त ने तर्क दिया कि शिकायत यू / s.195 (1) (b), Cr.P.C. यू/एस मामले पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक था। 193 , आई. पी. सी.-दलीलों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया-निचली अदालत ने दोषी ठहराया

1020 भीमा राजू प्रसाद बनाम। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस का

अपीलार्थी/अभियुक्त सं। 1 यू / एस. 13 (2) आर/डब्ल्यू। पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) और साथ ही एस. एस. 120आई. पी. सी. के बी और 193 और अभियुक्त नं. 2 और 3 थे दोषी ठहराए गए यू / s.120B और s. 193 आई. पी. सी. का-उच्च न्यायालय के समक्ष,

अभियुक्त नं. 2 और 3 ने दोहराया कि आवश्यकताओं की

एस. 195 (1) (ख) (i) और एस। 340 , Cr.P.C. शुल्क यू/एस के निर्माण से पहले अनुपालन नहीं किया गया था। 193 आई. पी. सी.-उक्त तर्क को उच्च न्यायालय ने फिर से खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने मुकदमे की पुष्टि की

अदालत का निष्कर्ष कि आरोपी ने झूठी साजिश रची थी

आय से अधिक संपत्ति का मामला-चाहे एस। 195 (1) (ख) (i), Cr.P.C। जांच एजेंसी यू/एस द्वारा मामला दर्ज करने पर रोक लगाता है। 193 , आई. पी. सी., गलत साक्षय देने के अपराध के संबंध में जो किया गया है जांच का चरण, इस तरह के साक्षय के उत्पादन से पहले

विचारण न्यायालय के समक्ष-आयोजितः धारा 195 (1) (बी) (आई), <आई. डी. 1. जांच एजेंसी द्वारा दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पर रोक नहीं लगाएगी।

एस. 193 , आई. पी. सी., जो जाँच के चरण के दौरान किया जाता है यह प्रावधान है कि जांच एजेंसी ने शिकायत दर्ज कराई है

या यू/एस मामला दर्ज किया। 193 , प्रारम्भ होने से पहले आई. पी. सी.

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और ऐसे साक्षय का प्रस्तुतिकरण

- ऐसी परिस्थिति में, इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया अपराध नहीं माना जाएगा।

एस का उद्देश्य। 195 (1) (ख) (i), Cr.P.C-इस प्रकार, अपीलार्थियों को निर्देश दिया गया -

यदि वे पहले से ही हिरासत में नहीं हैं, तो अपनी शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करें।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.195 (1) (b) (i)-क्या अपराध यू / s.193, आई. पी. सी. जांच के चरण में प्रतिबद्ध,

ऐसे व्यक्ति द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष झूठे साक्षय को प्रस्तुत करने से पहले, जो अभी तक विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं है,

किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में एक अपराध।

195 (1) (ख) (i), Cr.P.C.-आयोजितः यू/एस के संबंध में शब्द। 195 (1) (ख (i) उन स्थितियों को शामिल करता प्रतीत होता है जिनमें न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने से पहले झूठे साक्षय को गढ़ा गया है।

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से

"के संबंध में" शब्दों के निर्माण को नियंत्रित किया जाना चाहिए

पटेल लालजीभाई सोमाभाई में बताए गए व्यापक सिद्धांत के अनुसार

और सचीदा नंदा सिंह, जिसकी संविधान द्वारा पुष्टि की गई थी

इकबाल सिंह मारवाह में पीठ-अर्थात, भले ही अपराध अदालत में मनगढ़ंत साक्षय देने से पहले किया गया हो, यह

अदालत के साथ प्रत्यक्ष या यथोचित रूप से करीबी संबंध होना चाहिए

कार्यवाही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 195 (1) (ख) (i)-दंड संहिता, 1860s। 193 - चाहे वे शब्द न्यायिक स्तर के हों।

स्पष्टीकरण 2 से एस के तहत कार्यवाही। 193 , आई. पी. सी. की तुलना "किसी भी अदालत में कार्यवाही" के रूप में की जा सकती है। 195 (1) (ख) (i), Cr.P.C.-आयोजितः एस का उद्देश्य। 195 (1) (ख) (i), Cr.P.C., कथित अपराधी की ओर से अदालत को सीधे गुमराह करने का इरादा होना चाहिए। अपराध करके एक निश्चित राय बनाना / s.193, आई. पी. सी.-यद्यपि आपराधिक जाँच निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही का एक चरण है जहाँ तक कि यह अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया और मुकदमे के जारी होने में समाप्त हो सकता है, यह एक मामले के संबंध में कार्यवाही नहीं होगी।

कुछ अदालत यू / s.195 (1) (b) (i), Cr.P.C. न्यायालय के समक्ष इस तरह की जांच का न्यायिक नोटिस भी लिया गया है-दोनों के बीच का अंतर इस संबंध में न्यायिक कार्यवाही के एक "चरण" और स्वयं न्यायिक कार्यवाही पर जोर दिया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.195 (1) (b) (i) और s। 195 (1) (ख) (ii)-आयोजित के बीच का अंतरः एक प्रासंगिकता है एस के शब्दों में अंतर। 195 (1) (ख) (i) और एस। 195 (1) (ख) (ii) एस के रूप में। 195 (1) (ख) (ii) उन अपराधों तक सीमित है जो हैं -

प्रस्तुत या दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही में साक्षय "-जबकि एस। 195 (1) (बी) (i) सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराधों पर लागू होता है जो नहीं किए जाते हैं

केवल किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में, लेकिन इस तरह के "संबंध में" भी

आगे बढ़ रहे हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. धारा 195 (1) (बी) (ii), Cr.P.C पर कानून का सामान्य अवलोकन।

1.1 यह मुद्दा कि क्या धारा 195 (1) (बी) (ii), सी. आर. पी. सी. उन दस्तावेजों पर लागू होती है जो उनके पेश करने से पहले जाली हैं।

न्यायालय में अब समाकलन नहीं है। सच्चिदानंद सिंह के मामले में इस अदालत ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1) के साथ पठित धारा 195 (1) (बी) (2) केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होगी जो किए गए हैं।

उस समय के दौरान जब संबंधित दस्तावेज़ न्यायिक हिरासत में या न्यायालय की हिरासत में था। [पैरा 7] [1037-एफ-जी]

1.2 पटेल लालजीभाई सोमाभाई में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ, जैसा कि सच्चिदानंद सिंह में उद्धृत किया गया है, महत्वपूर्ण हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) का उद्देश्य स्पष्ट है।

प्रावधान भीमा राजू प्रसाद बनाम है। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सुपरवाइजर द्वारा। पुलिस का

अभियोजन शुरू करने के अधिकार को केवल वहीं रोकने का इरादा है जहां किए गए अपराध का अदालती कार्यवाही के साथ यथोचित निकट संबंध है, जैसे कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के रिकॉर्ड के संदर्भ में अपराध की जांच की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है। इसलिए, अपराध ऐसा होना चाहिए जो न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन को सीधे प्रभावित करे। यह निश्चित रूप से मामला होगा यदि अपराध के समय दस्तावेज़ अदालत की हिरासत में था। हालांकि, धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत प्रतिबंध को उन मामलों में भी प्रभावी नहीं माना जा सकता है जहां न्याय के प्रशासन के खिलाफ अपराध किया गया था।

दस्तावेज़ का सम्मानः 1) न्यायालय के बाहर, 2) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभी तक न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, और 3) न्यायालय के समक्ष दस्तावेज़ पेश करने से बहुत पहले।

अदालती कार्यवाही के साथ इसका "उचित रूप से करीबी संबंध" नहीं होगा। यद्यपि सच्चिदानंद में ये टिप्पणियां

सिंह को धारा 195 (1) (बी) (ii) के संदर्भ में बनाया गया था, इस न्यायालय ने पाया कि धारा की व्याख्या करने में उनका उपयोगी अनुप्रयोग है।

195 (1) (ख) (i) भी। धारा में निहित निषेध

सचीदा नंद सिंह में लिए गए विचार को बाद में इकबाल सिंह मारवाह में संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई। [पैरा 7 और 8] [1040-बी-एच] 1.3 सच्चिदानंद सिंह की तरह, संविधान पीठ ने भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 ("1898 संहिता") की धारा 192 (बी) और 192 (सी) पर पटेल लालजीभाई सोमाभाई मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया।

वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 (1) (बी) (आई) और (ii) के अनुरूप है। इस न्यायालय ने पटेल लालजीभाई सोमाभाई के मामले में उल्लेख किया था

2. सी. आर. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) में "संबंध में" शब्दों का आयात। 2.1 वाक्यांश "किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के संबंध में", जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) में दिखाई देता है, लेकिन [2021] 2 एस. सी. आर. में अनुपस्थित है।

धारा 195 (1) (बी) (ii)। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह वाक्यांश धारा 195 (1) (बी) (आई) के दायरे को धारा 195 (1) (बी) (आई) से अधिक व्यापक बनाता है। धारा 195 (1) (बी (आई) के तहत "के संबंध में" शब्द प्रतीत होते हैं -

उन स्थितियों को शामिल करता है जिनमें झूठे साक्षय बनाए गए हैं न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने से पहले। इसलिए, प्रत्येक मामले में धारा 195 (1) (बी) (आई) के अनुरूप इकबाल सिंह मारवाह के अनुपात को लागू करना संभव नहीं हो सकता है। [पैरा 9] [1045-सी-ई]

2.2 "के संबंध में" शब्दों के निर्माण को धारा पर लागू व्यापक सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

195 (1) (बी), सीआरपीसी जैसा कि पटेल लालजिभाई सोमाभाई और सचीदा नंद सिंह में कहा गया है, जिसे संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी इकबाल सिंह मारवाह। अर्थात्, भले ही अपराध अदालत में मनगढ़ंत साक्षय देने से पहले किया गया हो, इसका अदालती कार्यवाही के साथ प्रत्यक्ष या यथोचित रूप से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। [पैरा 14] [1049-बी-सी]

2.3 बांदेकर ब्रदर्स के फैसले को देखते हुए, यह सच है

न्यायालय, बशर्ते कि ऐसे साक्षय का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार है, जिसका उद्देश्य ऐसे साक्षय के आधार पर एक निश्चित राय बनाने के लिए न्यायालय का नेतृत्व करना है। द बार धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत संज्ञान लेने के खिलाफ भी आवेदन किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति जो शुरू में अदालत में पक्षकार नहीं है।

कार्यवाही कुछ साक्षय गढ़ती है, और 1) बाद में एक पक्षकार बन जाता है और इसे न्यायालय के समक्ष पेश करता है; या 2) ऐसे साक्षय के बल पर न्यायालय के समक्ष एक गवाह के रूप में गलत तरीके से गवाही देता है, जिसका उद्देश्य न्यायालय को किसी बिंदु सामग्री पर गलत राय बनाना है।

कार्यवाही। [पैरा 15] [1049-सी-ई]

2.4 हालाँकि, जहाँ कोई व्यक्ति गलत सबूत बनाता है

जाँच अधिकारी को गुमराह करने का उद्देश्य, इसका बाद की अदालती कार्यवाही के साथ कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता है। एक अप्रत्यक्ष सांठगांठ है जैसे कि जांच एजेंसी

किसी भी गलत काम पर संदेह नहीं करता है, और न्यायालय करता है

मुकदमे के लिए, अदालत के अवलोकन भीमा राजू प्रसाद बनाम के लिए साक्षय प्रस्तुत किया जाएगा।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस का

और न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हालांकि, यह हो सकता है

समान रूप से संभव हो कि भले ही मनगढ़ंत साक्षय पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाला प्रतीत हो, जांच एजेंसी छोड़ सकती है

अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही और अपना समय और संसाधनों को कहीं और मोड़ना। इसलिए, अपराध कभी भी अदालती कार्यवाही के चरण तक नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा, अगर बाद में यह पता चलता है कि सबूत को गलत तरीके से पेश किया गया था, तो यह जांच एजेंसी होगी जिसे नुकसान उठाना पड़ेगा और एक नई जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए, हालांकि अपराध वह है जो न्याय के प्रशासन को प्रभावित करता है, यह जांच एजेंसी है, और

न्यायालय नहीं, जो ऐसी परिस्थिति में व्यथित पक्षकार है। यह संभव है कि अदालतें संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा किए गए आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत शिकायतें करने में अधिक सक्रिय हों।

निजी दलों द्वारा पसंद किया जाता है। पूर्व सार्वजनिक अधिकारी होने के नाते उनके दावों की जांच करने में अधिक विश्वास का आनंद लेंगे। इसलिए, इकबाल सिंह मारवाह मामले में संविधान पीठ द्वारा सीआरपीसी की धारा 195 (1) (बी) (2) के संकीर्ण निर्माण को अपनाने के लिए दिए गए कारण वर्तमान मामले में सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं। [पारस 16 और 17] [1049-एफ-एच; 1050-ए; 1051-एफ-जी]

2.5 एक निजी पक्ष की तरह जो अदालत के परिसर के बाहर की गई जालसाजी का शिकार हुआ है, जांचकर्ता

जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से गलत सबूत पेश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एजेंसी को बिना उपचार के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। [पैरा 17.1] [1052-ए-बी]

2.6 न्यायालय के लिए धारा के तहत शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता का स्वतंत्र रूप से पता लगाना संभव नहीं होगा।

195 (1) (बी) (i) धारा 340, सी. आर. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है, जब कथित रूप से गलत साबित किए गए साक्षय उसके अभिलेखों पर भी मौजूद नहीं होते हैं। बल्कि, यह जाँच एजेंसी है जो यह सत्यापित करने और साबित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि क्या इस तरह का झूठ किस माध्यम से और किस उद्देश्य के लिए किया गया है। [पैरा 17.2] [1052-डी-ई]

2.7 जांच एजेंसी को एक मौका लेने और प्रत्येक मामले में निचली अदालत की राय का इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

और हर मामले में। यह अपराधी को धारा 193 के तहत दे सकता है,

आई. पी. सी. ने [2021] 2 एस. सी. आर. को छिपाने के लिए और अधिक झूठ गढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया।

मूल अपराध। इसके अलावा, निचली अदालत द्वारा बनाई गई राय पर इस तरह के झूठे साक्षय के संभावित प्रभाव के बावजूद, जांच एजेंसी को आपराधिक अपराध की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में बाधा डालने के प्रयास के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का एक अलग अधिकार है। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि लिखित याचिका दायर करने पर जोर देना अव्यवहारिक होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत शिकायत। [पैरा 17.3] [1052-जी-एच; 1053-ए]

3. क्या "न्यायिक कार्यवाही का चरण" के तहत

आई. पी. सी. की धारा 193 का स्पष्टीकरण 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा195 (1) (बी) (आई) के तहत "किसी भी अदालत में कार्यवाही" का पर्याय है। 3.1 आई. पी. सी. की धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति जो गलत साक्षय बनाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में गलत साक्षय, जो निस्संदेह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत अदालत के समक्ष किया गया अपराध होगा। हालाँकि, यह ऐसा मामला नहीं होगा जहाँ गलत सबूत सामने रखे जाएँ। न्यायालय से पहले जांच अधिकारी ने अपराध या मुकदमे के लिए किए जा रहे मामले का संज्ञान लिया हो।

[पैरा 20.1] [1054-एफ-एच]

3.2 धारा 195 (1) (बी), सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य और उद्देश्य को यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या

न्यायिक कार्यवाही के एक चरण के दौरान झूठा साक्षय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में इस तरह का मनगढ़ंत बयान देने के बराबर है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि धारा 195 (1) (बी) का उद्देश्य कुछ अपराधों के संबंध में लोक सेवकों या संबंधित न्यायालय में शिकायत करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना है, क्योंकि उन्हें एकमात्र पक्ष माना जाता है जो उन अपराधों से सीधे पीड़ित या प्रभावित होता है। इसके अलावा, धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य के लिए, कथित अपराधी की ओर से अदालत को सीधे गुमराह करने का इरादा होना चाहिए।

धारा भीमा राजू प्रसाद v के तहत अपराध करके एक निश्चित राय बनाना।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस का

193 , आईपीसी. यद्यपि आपराधिक जाँच निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही का एक चरण है जहाँ तक कि यह अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया और मुकदमे के जारी होने में समाप्त हो सकता है, यह इन मामलों में कार्यवाही नहीं होगी।

न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत किसी निश्चित न्यायालय के संबंध में ऐसी जांच का न्यायिक नोटिस भी लिया गया है। न्यायिक कार्यवाही के "चरण" के बीच का अंतर और

इस संबंध में न्यायिक कार्यवाही पर ही जोर दिया जाना चाहिए। [पैरा 20.2] [1055-ए-डी]

3.3 वर्तमान मामले में, यह निचली अदालत नहीं है, बल्कि प्रतिवादी प्राधिकरण/एजेंसी है जो सीधे प्रभावित हुई है

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा साक्षय के मनगढ़ंत होने के कारण। अपीलार्थियों का इरादा निचली अदालत को गुमराह करना नहीं था, कम से कम पहली बार में तो नहीं। बल्कि, उनका लक्षय यह सुनिश्चित करना था कि अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 को जाँच के चरण में ही गलत काम से मुक्त कर दिया जाए। आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत आरोप लगाए जाने के बाद अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने निचली अदालत के समक्ष काल्पनिक एस्क्रो व्यवस्था की कहानी को दोहराया ताकि वे निर्दोष साबित हो सकें। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 193 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत अपराध अपीलार्थियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत अदालत में कार्यवाही के संबंध में किया गया था। [पैरा 22.1] [1057-जी-एच; 1058-ए]

ट्रायल कोर्ट ने बाद में उनके कारण हुए छल का पता लगाया था, हमने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने किया है उल्लेख किया गया है कि जहां साक्षय का मनगढ़ंत होना जांच एजेंसी की जांच से बच गया है, और मामले को बाद में मुकदमे में लाया जाता है, ऐसे साक्षय का निचली अदालत की राय पर सीधा असर होगा और इसलिए धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध लागू हो सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में,

जाँच एजेंसी प्रारंभिक चरण में आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध का पता लगाने के लिए पर्याप्त दूरदर्शी रही है। इसलिए, जैसा कि पहले कहा गया है, ऐसे परिदृश्य में निचली अदालत द्वारा एक स्वतंत्र जांच और लिखित शिकायत की आवश्यकता पर जोर देना अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक होगा। [पैरा 22.3] [1058-डी-एफ] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

3.5 इस प्रकार, अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ बताए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। योग्यता के आधार पर भी कोई वैध कारण नहीं है

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. के लिए एस्क्रो में धन रखने का बचाव नहीं किया था। 2 और 3 24.01.2001 पर उनके घर पर तलाशी के समय। बिक्री का कथित समझौता भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह बचाव अभियुक्त संख्या द्वारा उठाया गया था। 2 और 3, जब्त की गई मुद्रा की बरामदगी के लगभग एक साल बाद, 4.02.2002 पर अत्यधिक विलंबित स्तर पर, हालांकि

अपीलार्थी ने मई-जून, 2001 में अभियुक्त संख्या 2 के साथ पत्राचार किया था। सामान्य व्यवहार में यह असंभव है कि एक व्यक्ति लगभग रुपये की राशि का दावा करने के लिए इतना लंबा इंतजार करेगा। 80 जो बिक्री लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक था। जिस स्टाम्प पेपर पर बिक्री विलेख बनाया गया था, वह भी अवैध साबित हुआ था। इसलिए यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने एक विस्तृत साजिश रची और अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 को अभियोजन से बचाने के उद्देश्य से एस्क्रो लेनदेन की झूठी परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों/अभियुक्तों को उनकी अधिक उम्र और मुकदमे को पूरा करने में देरी को देखते हुए दी गई सजा को कम करके बहुत नरमी दिखाई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस संबंध में उन्हें आगे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 23] [1058-एफ-एच; 1059-ए-सी]

इकबाल सिंह मारवाह और एक अन्य बनाम। मीनाक्षी मारवाह और एक अन्य (2005) 4 एस. सी. सी. 370: [2005] 2 एससीआर 708 -

पीछा किया।

सचिदा नंद सिंह और एक अन्य बनाम। बिहार राज्य और दूसरा, (1998) 2 एस. सी. सी. 493: [1998] 1 एस. सी. आर. 492; पटेल लालजीभाई सोमाभाई ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1935 पर भरोसा किया। अरविंदवीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य और दूसरा, (1998) 6 एस. सी. सी. 352: [1998] 3 एससीआर 1004; लालजी हरिदास बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1964) 6 एससीआर 700; बबीता लीला और एक अन्य बनाम। भारत संघ, (2016) 9 एस. सी. सी. 647: [2016] 7 एस. सी. आर. 604; चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम। महाराज सिंह और दूसरा, (1982) 1 एस. सी. सी. 466 -

प्रतिष्ठित।

एम. ए. राजू प्रसाद बनाम स्टेट, आरईपी। डिप्टी सुपरवाइजर द्वारा। पी. ओ. आई.

बांदेकर ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य वी। प्रसाद

वासुदेव केनी और अन्य, एआईआर 2020 एससी 4247; राज्य

पंजाब बनाम। जसबीर सिंह, (2020) 12 एस. सी. सी. 96: 2020

(2) जे. टी. 469; सुरजीत सिंह और अन्य बनाम। बलबीर सिंह, (1996) 3 एससीसी 533: [1996] 3 एस. सी. आर. 70; कैलाश मंगल

कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य और अन्य, (2019) 3 एससीसी 318 [2019] 2 एससीआर 643; पंजाब और हरियाणा

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ अपने माध्यम से

सचिव वी. पंजाब राज्य और अन्य (1994) 1 एस. सी. सी.

616 [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 915; पंजाब और हरियाणा

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम। पंजाब राज्य और

अन्य, (1996) 4 एससीसी 742: [1996] 2 पूरक। एससीआर 787

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 2 एससीआर 708

पीछा किया।

पैरा 3

[1998] 1 एससीआर 492

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.4

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1971 एस. सी 1935

पैरा 7

[1996] 3 एससीआर 70

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1998] 3 एससीआर 1004

प्रतिष्ठित

पैरा 19

[1993] 3 पूरक। एससीआर 915

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 पूरक। एससीआर 787

पैरा 19

[1964] 6 एससीआर 700

प्रतिष्ठित

पैरा 21

[2016] 7 एससीआर 604

प्रतिष्ठित

पैरा 21.1

(1982) 1 एस. सी. सी. 466

प्रतिष्ठित

पैरा 21.2

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

एफ 2021

उच्च न्यायालय के 06.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मद्रास में CRL.A.No में चित्र। 2007 का 1089.

के साथ 2021 की
आपराधिक अपील सं. 306 और 307

बसव प्रभु पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, कुशाग्र पांडे, सुश्री देवयानी गुप्ता, बी. करुणाकरन, अनूप प्रकाश अवस्थी, एस. गौतम, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी। , अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें सी. आर. एल. में 6.01.2020 दिनांकित निर्णय से उत्पन्न होती हैं। ए. नं. 1089 , 1090 और 2007 का 1091 मद्रास में उच्च न्यायालय ("उच्च न्यायालय") द्वारा पारित किया गया। चूँकि उनमें सामान्य तथ्य और कानून का प्रश्न शामिल है, इसलिए एस. एल. पी. से उत्पन्न होने वाली अपील। (सीआरएल।) 2020 की सं. 5102 को प्रमुख मामले के रूप में लिया जाएगा।

3. इस अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 क्षेत्रीय के रूप में काम कर रहा था।

(" आई. पी. सी.); और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पी. सी. अधिनियम) की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2)। इसके बाद अधिकारियों ने प्रतिवादी जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी अदालत, नई दिल्ली द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर 24.01.2001 पर अपीलार्थी के आवास पर तलाशी ली। इस दौरान

खोज, रुपये की राशि। 79,65,900 / - (" जब्त की गई मुद्रा), आभूषण और संपत्ति के कागजात के अलावा, अपीलार्थी के आवास से जब्त की गई थी।

उनके खिलाफ पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह वह मामला है जो वर्तमान का तथ्यात्मक सार है। अपील करें।

3.2 जाँचक क्रममे अभियुक्त सं. 2 वी. एस.

कृष्णन (एस. एल. पी. से उत्पन्न संबंधित अपील में अपीलार्थी। (सीआरएल।) 2020 का सं. 6720) और अभियुक्त सं. 3 मुरुगेसन (भीमा राजू प्रसाद में अपीलार्थी बनाम।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

एस. एल. पी. से उत्पन्न संबंधित अपील (सीआरएल।) 2020 का सं. 6327) ने पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई./ए. सी. यू.-II को दिनांक 4.02.2002 पर पत्र लिखा।

यह दावा करते हुए कि जब्त की गई मुद्रा अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 की नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 3 से संपत्ति खरीदने के लिए दिनांक 24.01.2001 पर बिक्री का समझौता किया था, जिसके लिए 80 लाख रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया जाना था। चूँकि अभियुक्त संख्या 2 उस तारीख को लिखित आदेश के निष्पादन के लिए उपलब्ध नहीं था।

समझौते के अनुसार, उन्होंने जब्त की गई मुद्रा के साथ-साथ अपने द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की एक डुप्लिकेट प्रति अपीलार्थी को सौंपी थी। अपीलार्थी की उपस्थिति में अभियुक्त संख्या 3 द्वारा समझौते का निष्पादन किया जाना था। हालाँकि, चूंकि उस तारीख को अपीलार्थी के घर पर छापा मारा गया था, इसलिए पैसे का भुगतान नहीं किया जा सका और बिक्री के समझौते को निष्पादित नहीं किया जा सका। अत: अभियुक्त सं। 2 और 3 ने जब्त की गई मुद्रा की वसूली की मांग की।

अभियुक्त नंबर 2 ने जाँच अधिकारी के सामने स्टाम्प पेपर पर टाइप किया गया कथित बिक्री विलेख दिनांक 24.01.2001 (डुप्लिकेट में) प्रस्तुत किया।

उनके दावे के समर्थन में। उसने यह दिखाने के लिए कुछ लेखा पुस्तकें भी प्रस्तुत कीं कि उसके पास अभियुक्त संख्या 3 से संपत्तियां खरीदने की वित्तीय क्षमता थी, जिसमें अभियुक्त संख्या 3 को 80 लाख रुपये के अग्रिम मूल्य के भुगतान से संबंधित 20.01.2001 पर प्रविष्टि की गई थी। तथापि, विशेष रूप से, अपीलार्थी ने उस समय ऐसा कोई बचाव नहीं किया था - उनके घर में 24.01.2001 पर तलाशी ली गई, और न ही उन्होंने उस समय प्रतिवादी एजेंसी के अधिकारियों के सामने डुप्लिकेट बिक्री विलेख प्रस्तुत किया था।

3.3 प्रत्यर्थी द्वारा की गई जाँच से पता चला कि दोनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य

दिनांक 24.01.2001 के बिक्री विलेख में वर्णित संपत्तियां 80 लाख रुपये से बहुत कम थीं। इसके अलावा, कि पहली संपत्ति को तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड के साथ समान रूप से गिरवी रखा गया था क्योंकि 4.9.1998; जबकि एक हिस्सा दूसरी संपत्ति पहले ही अन्य व्यक्तियों को बेच दी गई थी। कि अभियुक्त सं. 4 डाक टिकट विक्रेता एस. मोहनकुमार का लाइसेंस, जिनके माध्यम से बिक्री विलेख के डाक टिकट 11.01.2001 पर जारी किए गए थे,

7.10.1992 पर रद्द किया गया। 1998 से 2001 की अवधि के दौरान उन्हें किसी भी मूल्य का कोई स्टाम्प पेपर जारी नहीं किया गया था। इसलिए,

प्रत्यर्थी का दावा है कि अपीलार्थी ने अभियुक्त संख्या के साथ साजिश रची। 2-4 आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचाने के उद्देश्य से बिक्री के लिए समझौते का झूठा विलेख गढ़ना। तदनुसार, सी. बी. आई. मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ("ट्रायल कोर्ट") ने

अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या के खिलाफ आरोप तय किए। 2-4 [2021] 2 एस. सी. आर. की धारा 193 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत।

आई. पी. सी., अपीलार्थी के खिलाफ पहले से ही बनाए गए पी. सी. अधिनियम के तहत आरोपों के अलावा। अभियुक्त नं. 4 की मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा संज्ञान लेने के स्तर पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। हालाँकि, मुकदमे के दौरान, अभियुक्त ने तर्क दिया

कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 195 (1) (बी) के तहत शिकायत धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक थी।

दो साल के लिए और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान। अभियुक्त सं। 2 और 3 उन्हें आई. पी. सी. की धारा 120 बी और 193 के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

3.4 उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अभियुक्त सं। 2 और 3

इस बात को दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) और 340 की आवश्यकताओं का अनुपालन धारा के तहत आरोप तय करने से पहले नहीं किया गया था

193 , आईपीसी. इसलिए, जाँच के संचालन के बिना आरोप तय करना और निचली अदालत द्वारा लिखित शिकायत करना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि

धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत प्रक्रिया केवल उन अपराधों में अनिवार्य है जो सीधे न्याय के प्रशासन को प्रभावित करते हैं, यानी उन दस्तावेजों से संबंधित जो न्यायिक हिरासत में हैं। इस प्रकार, अपराध एक के बाद किया जाना चाहिए

दस्तावेज़ को न्यायालय के समक्ष साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए धारा 195 (1) (बी) (आई) और 340, सी. आर. पी. सी. वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी जहां पहले जांच चरण के दौरान दस्तावेज बनाए गए थे।

विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पेश किए जाने के दौरान।

सच्चिदानंद सिंह, अपनी राय रखते हुए। हालांकि ये निर्णय धारा 195 (1) (बी) (ii) की व्याख्या के संदर्भ में दिए गए थे।

भीमा राजू प्रसाद बनाम। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सुपरवाइजर द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

सी. आर. पी. सी. के उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 195 (1) (बी) (आई) पूर्व प्रावधान के अनुरूप है। अतः में की गई टिप्पणियाँ उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होते हैं। गुण-दोष पर, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि अभियुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 को अभियोजन से बचाने के लिए झूठे सबूत गढ़ने की साजिश रची थी। हालाँकि, अभियुक्त की अधिक उम्र और मामले का संज्ञान लेने के बाद के लंबे समय को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को दी गई सजा को कम कर दिया गया था। फिर भी, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलों में अभियुक्त हमारे सामने आए हैं।

4. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु पाटिल से सीखा और सीखा।

अपीलार्थियों/अभियुक्तों की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अमित आनंद तिवारी और श्री बी. करुणाकरन ने जोरदार तर्क दिया है कि धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी को धारा 195 (1) (बी) (आई) के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

कानून। इसलिए, प्रत्यर्थी एजेंसी द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अभियुक्त अस्थिर है।

4.1 इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया है कि इकबाल सिंह मारवाह में धारणा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के संबंध में भी लागू होती है। उन्होंने बांदेकर भाइयों में अंतर करने की भी कोशिश की है।

(उपर्युक्त) और अपीलार्थियों/अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर किए गए अन्य निर्णय कि ये उन मामलों के विशेष तथ्यों में प्रस्तुत किए गए थे, और वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। 5. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

" 195. लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, लोक न्याय के खिलाफ अपराधों और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।

(1) कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी।

(ख) (i) निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 से

196 (दोनों समावेशी), 199,200,205 से 211 (दोनों समावेशी) और 228,

जब ऐसा अपराध कथित रूप से किया गया हो, या किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के संबंध में,

या

((ii) धारा 463 में वर्णित किसी भी अपराध का, या इसके तहत दंडनीय

उक्त संहिता की धारा 471, धारा 475 या धारा 476, जब ऐसा अपराध कथित रूप से एक के संबंध में किया गया है

((ग) किसी आपराधिक षडचंत्र को अंजाम देने या करने का प्रयास करने के लिए, या उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उकसाना या

उपखंड (ii), उस न्यायालय की लिखित शिकायत को छोड़कर या

न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह न्यायालय लिखित रूप में प्राधिकृत करे।

इस ओर से, या किसी अन्य न्यायालय में जिसके लिए वह न्यायालय है अधीनस्थ।

XXX

(3) उप-धारा (1) के खंड (बी) में "न्यायालय" शब्द का अर्थ है - दीवानी, राजस्व या आपराधिक न्यायालय, और इसमें गठित एक न्यायाधिकरण शामिल है

किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, यदि उसके द्वारा घोषित किया गया हो। इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक न्यायालय होने के लिए अधिनियम।

(जोर दिया गया)

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 195 (1) (बी) लेने के खिलाफ एक बाधा पैदा करती है।

निजी पक्षों द्वारा आधारहीन या प्रतिशोधी अभियोजनों से बचाव के उद्देश्य से न्याय प्रशासन के खिलाफ अपराधों का संज्ञान। इस धारा के प्रावधानों का तात्पर्य है कि न्यायालय एकमात्र उपयुक्त प्राधिकरण है जो झूठी गवाही, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की जालसाजी और अन्य अपराधों के संबंध में शिकायत करने का हकदार है जो न्याय के प्रभावी वितरण में हस्तक्षेप करते हैं। अदालत। अतः न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे अपराधों के लिए शिकायत करने की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए। हालाँकि, धारा 195 (1) (बी) (आई) और धारा 195 (1) (बी) (आई) के शब्दों में एक प्रासंगिक अंतर है क्योंकि धारा 195 (1) (बी) (आई) अपराधों तक ही सीमित है।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

जो किसी ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध हैं जिसे "किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्षय के रूप में दिया जाता है।" जबकि धारा 195 (1) (बी) (आई) सार्वजनिक न्याय के खिलाफ उन अपराधों पर लागू होती है जो न केवल किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही में किए जाते हैं, बल्कि ऐसे अपराधों के संबंध में भी किए जाते हैं।

आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा शब्दार्थिक अंतर धारा 195 (1) (बी) (आई) की व्याख्या करने के लिए धारा 195 (1) (बी) (आई) से संबंधित उदाहरणों के अनुरूप अनुप्रयोग को रोकता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 5.1 धारा 340, सी. आर. पी. सी. धारा 195 (1) (बी) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है:

किसी भी न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि इसमें निर्दिष्ट किसी भी अपराध की जांच की जानी चाहिए। धारा 195 की उप-धारा (1) का खंड (बी), जो ऐसा प्रतीत होता है -

उस न्यायालय में या उसके संबंध में या, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के संबंध में या

उस न्यायालय में किसी कार्यवाही में साक्षय में दिया गया, ऐसा न्यायालय, ऐसी प्रारंभिक जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे;

(क) उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करें;

(ख) लिखित रूप में इसकी शिकायत करें;
(ग) इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजें;

(घ) अभियुक्त के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा लें, या यदि कथित अपराध गैर-जमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को जेल भेज दें।

मजिस्ट्रेट। XXX

(4) इस धारा में "न्यायालय" का वही अर्थ है जो धारा में है।

195. "

इस मोड़ पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय की एक पीठ (जिसमें हम में से एक शामिल है)। जसबीर सिंह, (2020) 12 एस. सी. सी. 96 ने इस सवाल का हवाला दिया है कि क्या अदालत के लिए प्रारंभिक जांच करना और सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट बनाने से पहले धारा 340, सी. आर. पी. सी. के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

21] 2 एस सी आर।

5.2 हम इस मामले पर निर्णय लेने के उद्देश्य से आई. पी. सी. की धारा 192 और 193 पर विचार करना भी आवश्यक पाते हैं। दोनों अध्याय के अंतर्गत आते हैं। 11, आई. पी. सी. के "झूठे साक्षय और लोक न्याय के खिलाफ अपराध" शीर्षक के तहत।

किसी भी पुस्तक में मौजूद या कोई गलत प्रविष्टि करने की परिस्थिति या रिकॉर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या कोई भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जिसमें गलत बयान होता है, जिसका उद्देश्य है कि

किसी न्यायिक कार्यवाही में, या किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी मध्यस्थ के समक्ष कानून द्वारा की गई कार्यवाही में, परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत बयान साक्षय में दिखाई दे सकता है, और यह कि ऐसी परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत बयान, इस प्रकार साक्षय में उपस्थित होने से, किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसी कार्यवाही में साक्षय पर एक राय बनाना है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए एक गलत राय का मनोरंजन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, कहा जाता है कि "गलत साक्षय गढ़ना" है।

XXX

193. झूठे सबूत के लिए सजा। जो कोई भी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर गलत साक्षय देता है, या किसी भी मामले में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्षय बनाता है। न्यायिक कार्यवाही के चरण में, सात वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

व्याख्या 2: न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए कानून द्वारा निर्देशित प्रारंभिक जांच, न्यायिक प्रक्रिया का एक चरण है। कार्यवाही, हालांकि वह जांच एक से पहले नहीं हो सकती है

न्याय की अदालत "। वर्तमान मामले में, अभियुक्त के खिलाफ आरोप संख्या। 2 और 3

यह है कि उन्होंने एक झूठा बिक्री विलेख बनाने के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 के साथ सांठगांठ की, और तीनों पक्षों के बीच एस्क्रो व्यवस्था का गलत स्पष्टीकरण दिया, ताकि यह सही ठहराया जा सके कि जब्त की गई मुद्रा भीम राजू प्रसाद बनाम में कैसे आई।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सुपरवाइजर द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

अपीलार्थी का अधिकार। यह अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 को दोषमुक्त करने और जब्त की गई मुद्रा को जाँच के चरण में ही बरामद करने के लिए किया गया था, जिसे धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 के तहत "न्यायिक कार्यवाही का एक चरण" माना जाता है। यदि बिक्री विलेख की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया गया होता, तो प्रत्यर्थी ने गलती से कहा होता कि जब्त की गई मुद्रा अभियुक्त संख्या 2 की थी, और परिणामस्वरूप अपीलार्थी के खिलाफ पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत कार्यवाही को छोड़ दिया जाता। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 193, आरोपों पर पूरी तरह से लागू होती है।

6. इसलिए, कानून का प्राथमिक प्रश्न जो हमारे लिए उत्पन्न होता है

इन अपीलों में विचार यह है कि क्या धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी., आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत जांच एजेंसी द्वारा मामला दर्ज करने पर रोक लगाती है, जो कि जांच के चरण में किए गए झूठे साक्षय देने के अपराध के संबंध में है। इसके बदले में, हमें निम्नलिखित उप-प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है:

6.1 क्या आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध जांच के चरण में किया गया है, गलत सबूत पेश करने से पहले

एक व्यक्ति द्वारा विचारण न्यायालय जो अभी तक विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में एक अपराध है।

धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी के तहत?

6.2 क्या "न्यायिक कार्यवाही का चरण" के तहत शब्द हैं

आई. पी. सी. की धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 को सी. आर. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत "किसी भी अदालत में कार्यवाही" के बराबर माना जा सकता है।

I. धारा 195 (1) (ख) (ii) पर कानून का सामान्य अवलोकन

7. पैराग्राफ 6 (उपरोक्त) में बताए गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, इस न्यायालय के ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है जो

अदालत में पेश किए जाने से पहले जो दस्तावेज जाली बनाए जाते हैं, वे अब एकीकृत नहीं हैं। सच्चिदानंद सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1) के साथ पठित धारा 195 (1) (बी) (ii) केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होगी जो उस समय के दौरान किए गए हैं जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340

(1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1), संबंधित दस्तावेज़ न्यायिक हिरासत में या अदालत की हिरासत में था। न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क इस प्रकार था:

" 5. अपीलार्थियों का तर्क है कि यदि कथित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में है जो न्यायालय में पहुँचा है तो उपरोक्त बार संचालित होता है, चाहे अपराध सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो।

एस सी आर।

अदालत में पेश किए जाने से पहले या बाद में किया गया। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थियों के अनुसार, बार को आकर्षित करने के लिए निर्णायक घटना अदालत में दस्तावेज़ का उत्पादन है। XXX

7. भले ही खंड दो व्याख्याओं में सक्षम हो, हम हैं

मजिस्ट्रेट, और शिकायत के साथ अदालत में जाने का किसी व्यक्ति का सामान्य अधिकार उस हद तक कम हो जाता है। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि अदालत के सामान्य अधिकार क्षेत्र पर अंकुश लगाने वाले प्रावधान को आम तौर पर सख्त व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए जब तक कि क़ानून या संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता न हो (अब्दुल वहीद खान बनाम। भवानी [AIR 1966 SC 1718: (1966) 3 एससीआर 617])। 8. इसके अलावा धारा 195 (1) (बी) (2) की व्याख्या करना मुश्किल है क्योंकि इसमें अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ केवल इसलिए रोक है क्योंकि संबंधित दस्तावेज को अदालत में पेश किया गया था, हालांकि जालसाजी का कार्य अदालत में पेश करने से पहले किया गया था। इस तरह के किसी भी निर्माण के अप्रिय परिणाम होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मूल्यवान दस्तावेज़ की श्रेणी जालसाजी

पता चला है और जालसाज को यकीन है कि वह जल्द ही अभियोजन की कार्यवाही में उलझा होगा, वह बस यह प्राप्त कर सकता है

किसी भी लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ जो या तो स्वयं या किसी और द्वारा स्थापित किया गया था जो उससे प्रभावित हो सकता है और इस तरह उस मुकदमेबाजी की पूरी लंबी अवधि के लिए अभियोजन को पूर्व-खाली कर सकता है। यह एक तय प्रस्ताव है कि यदि किसी कानून की भाषा एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह भाषा जो शरारती परिणाम पैदा करने में सक्षम है।

इससे बचना चाहिए।

XXX

10 ..... यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 340 संहिता के अध्याय XXVI के भीतर आती है जिसमें "के रूप में प्रावधानों" का एक फासिकुलस शामिल है

न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध "शीर्षक के रूप में

अध्याय अपील करता है। अतः संहिता की धारा 195 (1) (बी) में परिकल्पित अपराधों में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो

न्याय का प्रशासन।

एम. ए. राजू प्रसाद बनाम स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

11. संहिता की धारा 340 (1) में परिकल्पित प्रारंभिक जांच का दायरा यह पता लगाने के लिए है कि क्या न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया गया है।

न्यायालय में प्रस्तुत या उस न्यायालय में कार्यवाही में साक्षय के रूप में दिया गया दस्तावेज। दूसरे शब्दों में, अपराध उस समय किया जाना चाहिए था जब दस्तावेज़ न्यायिक हिरासत में था।

12. यह एक तनावपूर्ण सोच होगी कि जालसाजी से जुड़ा कोई भी अपराध

13. पटेल लालजीभाई सोमाभाई मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ [(1971) 2 एस. सी. सी. 376: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 548: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1935] ने पुरानी संहिता, [धारा 195 (1) (सी)] में संबंधित धारा की व्याख्या लगभग उसी तरीके से की है जैसा ऊपर बताया गया है। ..... पटेल लालजीभाई सोमाभाई मामले में शामिल मुद्दा [(1971) 2 एस. सी. सी. 376: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 548: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1935] उस उप-धारा की उस मामले में प्रयोज्यता से संबंधित है जहां जाली है।

दस्तावेज़ को एक पक्ष द्वारा एक मुक़दमे में प्रस्तुत किया गया था, और

बाद में उसके खिलाफ एक निजी शिकायत के माध्यम से आईपीसी की धारा 467 और 471 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू किया गया था। उसमें निर्णय का अनुपात निम्नलिखित है: (एस. सी. सी. हेडनोट) " अतः जिन अपराधों के बारे में अकेले न्यायालय को शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें उचित रूप से केवल उन अपराधों के रूप में माना जा सकता है जो किसी कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा किए गए हैं।

वह न्यायालय, जिसके आयोग का उस न्यायालय की कार्यवाहियों के साथ यथोचित निकट संबंध है ताकि वह पूरी तरह से स्वतंत्र और नई जांच शुरू किए बिना, मुख्य रूप से अपने अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित की समीचीनता पर संतोषजनक रूप से विचार कर सके:

धारा 195 (1) (सी) में निहित निषेध केवल उन मामलों के लिए है जिनमें उसमें निर्दिष्ट अपराध किसी पक्ष द्वारा किए गए थे। इस तरह के पक्ष के रूप में चरित्र में कार्यवाही के लिए "।

14. ऐसा कहने के बाद उनके अधिपतियों ने कहा कि विधायिका का इरादा [2021] 2 एस. सी. आर. में प्रतिबंध का विस्तार करने का नहीं हो सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा किए गए अपराधों के लिए उप-धारा

उनके ऐसी पार्टी बनने से पहले। उनके लॉर्डशिप्स के अनुसार, इसके विपरीत कोई भी निर्माण किसी व्यक्ति के अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करेगा जिसे धारा 190 में मान्यता दी गई थी।

कोड "। (जोर दिया गया)

पटेल लालजीभाई में इस न्यायालय की पूर्व उल्लिखित टिप्पणियां

सोमाभाई (ऊपर), जैसा कि सच्चिदानंद सिंह (ऊपर) में उद्धृत किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के महत्व और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य केवल तभी अभियोजन शुरू करने के अधिकार को रोकना है जब किए गए अपराध का अदालती कार्यवाही के साथ यथोचित निकट संबंध हो, जैसे कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के रिकॉर्ड के संदर्भ में अपराध की जांच की आवश्यकता का निर्धारण कर सके। इसलिए, अपराध ऐसा होना चाहिए जो न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन को सीधे प्रभावित करे। यह निश्चित रूप से मामला होगा यदि अपराध के समय दस्तावेज़ अदालत की हिरासत में था। हालांकि, धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत प्रतिबंध को उन मामलों में भी प्रभावी नहीं माना जा सकता है जहां न्याय के प्रशासन के खिलाफ अपराध किया गया था।

एक दस्तावेज़ का

1) अदालत के बाहर,

2) एक व्यक्ति द्वारा जो अभी तक न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था,

और,

3) दस्तावेज़ के प्रस्तुत होने से बहुत पहले

अदालत।

अदालती कार्यवाही के साथ इसका "उचित रूप से करीबी संबंध" नहीं होगा।

हालाँकि ये टिप्पणियां सच्चिदानंद सिंह में की गई थीं।

धारा 195 (1) (बी) (ii) के संदर्भ में, हम पाते हैं कि धारा 195 (1) (बी) (i) की व्याख्या करने में भी उनका उपयोगी उपयोग है। धारा 195 (1) (बी) (आई) में निहित निषेध को उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिस पर झूठा सबूत देने का आरोप लगाया गया है। अदालती कार्यवाही में एक पक्ष बनने से पहले और अदालत के समक्ष इस तरह के साक्षय पेश करने से पहले जांच के चरण के दौरान।

8. सच्चिदानंद सिंह में लिया गया दृष्टिकोण बाद में था

इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई। उस मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने विवादित संपत्ति में प्रतिवादियों को उनके हिस्से से बाहर निकालने के लिए एक काल्पनिक वसीयत बनाई थी।

भीमा राजू प्रसाद बनाम। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सुपरवाइजर द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

चूंकि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रतिवादियों के आवेदन का निपटारा नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने अपीलार्थियों पर धारा 192 और 193 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 463 और 471 के तहत मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज की। उस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) और (2), दोनों इन पर संज्ञान लेने के खिलाफ एक अवरोधक के रूप में काम करती हैं।

अपराध। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने सचीदा नंद सिंह पर भरोसा करते हुए कहा कि धारा 195 (1) (बी) (2) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा जहां प्रस्तुत करने से पहले किसी दस्तावेज की जालसाजी की गई थी।

अदालत में उक्त दस्तावेज़। हालांकि, यह देखा गया कि सचीदा नंद सिंह पहले के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।

सुरजित सिंह और अन्य बनाम। बलबीर सिंह, (1996) 3 एस. सी. सी. 533। सुरजीत सिंह ने कहा था कि धारा 195 (1) (बी) (2) के तहत संज्ञान लेने के खिलाफ प्रतिबंध तब भी लागू होगा जब उसमें निर्धारित अपराध अदालत के समक्ष दस्तावेज पेश करने से पहले किए गए थे, अगर ऐसा दस्तावेज बाद में अदालत के समक्ष पेश किया गया था। संविधान पीठ ने कानून की स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया:

खंड (ख) (ii) में होने वाली किसी भी अदालत में कार्यवाही में साक्षय का अर्थ आम तौर पर इस तरह के अपराध का करना होना चाहिए। दस्तावेज़ वास्तव में प्रस्तुत किया गया है या साक्षय में दिया गया है

अदालत। स्थिति या आकस्मिकता जहाँ एक अपराध के रूप में

इस खंड में उल्लिखित दस्तावेज़ पहले ही प्रतिबद्ध किया जा चुका है और बाद में अदालत में प्रस्तुत किया जाता है या साक्षय के रूप में दिया जाता है, खंड (ए) (आई) और (बी) (आई) के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है और इसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की योजना के अनुरूप नहीं है। यह संकेत देता है

वह खंड (ख) (ii) ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां उसमें गिने गए अपराध किसी दस्तावेज को पेश करने या कार्यवाही में साक्षय देने के बाद उसके संबंध में किए गए हैं।

किसी भी अदालत में।

11 ..... यह तथ्य कि न्यायालय द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अध्याय XXVI में न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों से निपटने के लिए प्रदान की गई है, इस विधायी इरादे के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि किया गया अपराध इस प्रकार का होना चाहिए जो सीधे अदालत की रिपोर्ट के ऊपर हो।

एस सी आर।

न्याय के प्रशासन को प्रभावित करता है। जो दस्तावेज़ पेश किए जाने या अदालत में साक्षय में दिए जाने के बाद किया जाता है। इससे पहले एक समय पर किसी दस्तावेज़ के संबंध में किया गया कोई भी अपराध

न्यायालय में साक्षय प्रस्तुत करना या देना, कड़ाई से कहें तो, न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला अपराध नहीं कहा जा सकता है।

12. विवाद में विवाद को छूते हुए कुछ पहले के निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो धारा 195 पर प्रस्तुत किए गए थे।

किसी पक्षकार द्वारा किसी ऐसे दस्तावेज के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध किया गया है जिसे ऐसी कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्षय के रूप में दिया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अपराध जो पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है जो अपराध करने के 30 साल बाद तक पक्षकार नहीं बन जाता है, वह अपराध नहीं कर सकता है। कहा जाए कि खंड (ग) के अर्थ के भीतर किसी पक्ष द्वारा किया गया था। पटेल लालजीभाई सोमाभाई बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। जाँच के बाद गुजरात राज्य

काफी विस्तार से विवाद ने देखा कि एक सामान्य नियम के रूप में

अदालतें न्याय के हित में धारा 476 (पुरानी संहिता की) द्वारा विचार किए गए अभियोजन शुरू करना समीचीन समझती हैं। जो अब धारा 340 सी. आर. पी. सी. के अनुरूप है) केवल तभी जब आरोप के लिए एक उचित आधार हो और दोषसिद्धि की उचित संभावना हो। (ख) [खंड (ख) (i) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप पुरानी संहिता के] खंड (ख) में निर्दिष्ट अपराधों के मामले में उस अदालत में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किए गए कथित अपराध के मामले में समीचीनता के बारे में निष्कर्ष की आवश्यकता समझ में आती है क्योंकि

अपराध और कार्यवाही के बीच संबंध। खंड (ग) में निर्दिष्ट अपराधों के मामले में, उन्हें किसी दस्तावेज के संबंध में उस न्यायालय में कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है।

उस न्यायालय में पेश किया गया या साक्षय में दिया गया। अदालत ने सम्राट बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी। कुशल पाल सिंह और रिपोर्ट के पैरा 7 में कहा गया है: (पटेल लालजीभाई सोमाभाई मामला (1971) 2 एस. सी. सी. 376: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 548], एस. सी. सी. पीपी। 376-77)

एम. ए. राजू प्रसाद बनाम। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

" (i) धारा 195 (1) (बी) और (सी) और धारा 476 को लागू करने का अंतर्निहित उद्देश्य अपने विरोधियों को परेशान करने या उनके बावजूद प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित तुच्छ परेशानियों या अपर्याप्त आधारों पर आपराधिक अभियोजन शुरू करने के लिए निजी पक्षों की ओर से प्रलोभन को नियंत्रित करना प्रतीत होता है। न्यायिक प्रक्रिया पर उनके प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण इन अपराधों को अदालत के नियंत्रण के लिए चुना गया है। यह न्यायिक प्रक्रिया या प्रशासन है। लोक न्याय जो प्रत्यक्ष और तत्काल उद्देश्य है या इन अपराधों का शिकार है। कार्यवाही की शुद्धता के रूप में

अदालत को सीधे अपराध से बदनाम किया जाता है, अदालत को एकमात्र पक्ष माना जाता है जो दोषी पक्ष के खिलाफ शिकायत करने की वांछनीयता पर विचार करने का हकदार है। निजी पक्ष जिसे अंततः नुकसान हो सकता है, वह दीवानी अदालत को शिकायत दर्ज करने के लिए राजी कर सकता है। 18. दूसरा मामला, जो अपीलार्थियों के विद्वान वकील के तर्क का आधार है, सुरजीत सिंह बनाम है। बलबीर सिंह। रिपोर्ट के पैरा 1 और 11 में बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420,467,468,471 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थियों ने साजिश रची थी और दिनांक 1 का एक समझौता गढ़ा था और

उन्होंने श्रीमती दलीप कौर के जाली हस्ताक्षर किए थे और उसके आधार पर उन्होंने एक घर के कब्जे में रहने का दावा किया था। मजिस्ट्रेट ने 27-9-1983 पर अपराध का संज्ञान लिया।

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 9-2-1984 पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने समझौता प्रस्तुत किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपराधिक अदालत द्वारा संज्ञान दायर करने से बहुत पहले लिया गया था दीवानी मुकदमा जिसमें समझौता दायर किया गया था। चर्चा के दौरान, न्यायालय ने न केवल गोपालकृष्ण मेनन [(1983) 4 एस. सी. सी. 240 पर ध्यान दिया: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 822] लेकिन पटेल लालजीभाई से भी व्यापक रूप से उद्धृत किया। इसके बाद सनमुखसिंह बनाम का संदर्भ दिया गया। आर. [एयर 1950 पीसी 31: 51 क्री एलजे 651] और सुशील

कुमार बनाम. हरियाणा राज्य [1987 पूरक एस. सी. सी. 654: 1988 एससीसी (सीआरआई) 136: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 419] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि मूल दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया गया था या साक्षय में नहीं दिया गया था। फिर निर्णय (रिपोर्ट का पैरा 10) में वह अंश आता है जो हमारे पास है।

हमारे निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया। उसमें की गई टिप्पणियों को इसके विपरीत कुछ भी कहने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

जो पटेल लालजीभाई में आयोजित किया गया था लेकिन में बनाया गया था इस संदर्भ में कि धारा 195 (1) (बी) (ii) में निहित बार [2021] 2 एस. सी. आर. नहीं होगा।

जब तक मूल दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया गया था। यही कारण है कि अगले पैराग्राफ में यह देखने के बाद कि दीवानी मुकदमा दायर करने से पहले संज्ञान लिया गया था और मूल

न्यायालय में समझौता, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि

पुरानी संहिता की धारा 195 (1) (सी) में आने वाली किसी भी अदालत में कार्यवाही गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, व्याख्या पहले के निर्णयों में उक्त प्रावधान पर रखा गया तब भी कायम रहेगा

अच्छा है। 33. ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हमारी राय है

कि सच्चिदानंद सिंह को सही निर्णय दिया गया है और

उसमें लिया गया दृश्य सही है। धारा 195 (1) (बी) (ii) दंड प्रक्रिया संहिता

केवल तभी आकर्षित किया जाएगा जब अपराधों की गणना की जाएगी कहा गया प्रावधान किसी दस्तावेज़ के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही में पेश किए जाने या सबूत में दिए जाने के बाद किया गया है, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज़ हिरासत में था।

कानूनी "। (जोर दिया गया)

दिलचस्प बात यह है कि हालांकि इकबाल सिंह मारवाह के तथ्यों के लिए भी धारा 195 (1) (बी) (आई) की प्रयोज्यता के बारे में निर्धारण की आवश्यकता थी, लेकिन संविधान पीठ ने इस बिंदु पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया।

बेंच सच्चिदानंद सिंह और सुरजीत सिंह (ऊपर) के बीच स्पष्ट संघर्ष था। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि संविधान पीठ ने धारा 195 (1) (बी) (ii) की अलग से व्याख्या नहीं की, लेकिन इसके निर्माण को धारा 195 (1) (बी) और 340, सी. आर. पी. सी. के तहत समग्र योजना से जोड़ा। न्यायालय ने सचीदा में निर्धारित परीक्षण को दोहराया

नंद सिंह, अर्थात, वह अपराध जिसके संबंध में केवल न्यायालय ही शिकायत कर सकता है, वह ऐसा होना चाहिए जिसका न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से सीधा संबंध हो या उस पर सीधा प्रभाव पड़े। यही कारण है कि केवल संबंधित न्यायालय को दोषी पक्ष के खिलाफ शिकायत करने की वांछनीयता पर विचार करने का अधिकार है।

न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति जिसमें अपराध के रूप में

धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत गणना पहले की गई है, लेकिन बाद में अदालत में पेश किया गया दस्तावेज़ इसके अनुरूप नहीं है। धारा 195 (1) (बी) (आई) का उद्देश्य भी। यहाँ तक कि सुरजीत सिंह के मामले में भी, इस अदालत ने उस मामले के तथ्यों पर निर्णय दिया था, कि चूंकि आपराधिक अदालत में भीमा राजू प्रसाद बनाम था।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

दीवानी न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज दाखिल करने से बहुत पहले अपराध का संज्ञान लेते हुए, धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सच्चिदानंद सिंह की तरह संविधान पीठ ने भी

1898 की संहिता (धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के अनुरूप) के अनुसार किया गया अपराध अदालती कार्यवाही के साथ "करीबी संबंध" वाला है। II. सी. आर. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) में "संबंध में" शब्दों का आयात।

9. यह हमें "किसी भी कार्यवाही के संबंध में" वाक्यांश पर लाता है।

कोई भी न्यायालय ", जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) में प्रकट होता है, लेकिन धारा 195 (1) (बी) (आई) में अनुपस्थित है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह वाक्यांश धारा 195 (1) (बी) (आई) के दायरे को धारा 195 (1) (बी) (आई) से अधिक व्यापक बनाता है। धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत "संबंध में" शब्द उन स्थितियों को शामिल करते प्रतीत होते हैं जिनमें गलत साक्षय पेश किए जाने से पहले गढ़ा गया है। कार्यवाहियों में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से किसी न्यायालय के समक्ष

न्यायालय के समक्ष। इसलिए, प्रत्येक मामले में धारा 195 (1) (बी) (आई) के अनुरूप इकबाल सिंह मारवाह के अनुपात को लागू करना संभव नहीं हो सकता है।

मामला।

10. इस बिंदु पर आगे की व्याख्या के लिए, हम बांदेकर ब्रदर्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले की ओर रुख कर सकते हैं। अपीलकर्ताओं में

उस मामले में दावा किया गया था कि प्रतिवादियों/अभियुक्तों ने गलत सबूत दिए थे और पक्षों के बीच दीवानी अदालत की कार्यवाही में जाली डेबिट नोट और खातों की पुस्तकें बनाई थीं। उन्होंने शुरू में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आवेदन दायर किया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) पर भरोसा करते हुए इसे निजी शिकायतों में बदलने की कोशिश की। प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत प्रतिबंध को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने याचिका दायर की कि धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत अपराध भी बनाए गए थे:

" 13. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील द्वारा जोरदार तर्क दिया गया कि उनके मुवक्किल, जालसाजी का शिकार होने के कारण, उन्हें ऐसा करना चाहिए

जालसाजी के कृत्यों के संबंध में उपचारहीन नहीं किया जाएगा

जो अदालत की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट में सबूत के रूप में उपयोग किए जाने से पहले किए जाते हैं

21] 2 एस सी आर।

कार्यवाही, और इसलिए, एक निजी शिकायत होगी

दो अपराधी में उल्लिखित तथ्य परिस्थितियों में बनाए रखने योग्य

ऊपर उल्लिखित शिकायतें। न्यायालय को इस प्रकार मार्गदर्शन करना है

एक वर्णक्रम के दो विपरीत ध्रुवों के बीच "यिन" है

" यांग "पीड़ित का अपनी शिकायत व्यक्त करने का अधिकार है और अदालत को एक निजी के माध्यम से जालसाजी के अपराध का मुकदमा चलाने दें

शिकायत करें। यह समझने के लिए कि क्या यह मामला इसके अंतर्गत आता है

तुच्छ मुकदमेबाजी से बचने की श्रेणी, या क्या यह आती है

निजी शिकायत को आगे बढ़ाने के व्यक्ति के अधिकार के भीतर, हमें चाहिए

इस न्यायालय के कई निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

10.1 इसके बाद इस न्यायालय ने के बीच अंतर करने के लिए आगे बढ़े

आई. पी. सी. की धारा 192 और 193 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने का अपराध और जालसाजी का अपराध। इसने नोट किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों में किए गए कथन विशेष रूप से झूठे साक्ष्य देने से संबंधित थे और आई. पी. सी. के तहत परिभाषित जालसाजी के तत्वों का खुलासा नहीं करते थे। इसलिए, बांदेकर ब्रदर्स मामले में इस अदालत ने प्रतिवादियों की दलीलों को बरकरार रखा और कहा कि इकबाल सिंह मारवाह को कोई लाभ नहीं होगा

उस मामले में अपीलार्थी। भले ही झूठा सबूत अदालत के बाहर बनाया गया था, लेकिन यह अपीलार्थियों की अपनी स्वीकारोक्ति थी, जिसे अदालत के समक्ष कार्यवाही के संबंध में बनाया गया था। अतः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 19. इस स्तर पर अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) और धारा 195 (1) (बी) (आई) में उल्लिखित अपराधों के बीच। जहां तथ्य

शिकायत में उल्लिखित धारा 191 के प्रावधानों को आकर्षित करता है -

193 भारतीय दंड संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई)

दंड प्रक्रिया लागू होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार भारतीय दंड संहिता की धाराएँ आकर्षित होती हैं, अपराध होना चाहिए

किसी में या उसके संबंध में किए जाने का आरोप लगाया जाए

किसी भी न्यायालय में कार्यवाही। इस प्रकार जो स्पष्ट है वह यह है कि अपराध

इन धाराओं के तहत दंडनीय कार्य करना आवश्यक नहीं है।

केवल किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में, लेकिन यह एक अपराध भी हो सकता है

में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किए जाने का आरोप

कोई भी न्यायालय।

22. धारा 195 (1) (बी) (आई), धारा 195 (1) (बी) (आई) के विपरीत दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित अपराधों की बात की गई है

धारा 463, और भीमा राजू प्रसाद की धारा 471,475 या 476 के तहत दंडनीय।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्षय के रूप में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध। धारा 195 (1) (बी) (ii) में इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह "या उसके संबंध में" शब्द हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 195 (1) (बी) (ii) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, तो तब कथित अपराध किया जाना चाहिए

किसी ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध जो कानूनी रूप से वैध है, और कोई अपराध नहीं जो दस्तावेज़ से पहले हुआ हो

अदालती कार्यवाही में पेश किया जा रहा है। वास्तव में, यह वह अंतर है जो अपीलार्थी के पत्र के आधार को समझने में महत्वपूर्ण है।

मामला अर्थात्, इकबाल सिंह मारवाह में इस अदालत का फैसला (ऊपर) "। (जोर दिया गया)

10.2 हम उपरोक्त तर्क से पूरी तरह सहमत हैं। द.

धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत "संबंध में" की उपस्थिति का मतलब है कि इकबाल सिंह मारवाह का हर मामले में व्यापक आवेदन नहीं होगा जहां उस धारा के तहत निर्दिष्ट अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज की जाती है।

हालाँकि, बांदेकर ब्रदर्स के तथ्यों पर, यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें शिकायत किए गए अपराध का अदालती कार्यवाही के साथ "उचित रूप से करीबी संबंध" नहीं था। झूठा सबूत देने का अपराध प्रतिवादियों द्वारा किया गया था, जो अदालत में पक्षकार थे।

कार्यवाहियों के परिणाम के लिए एक बिंदु सामग्री पर गलत राय बनाने के लिए न्यायालय का नेतृत्व करने के उद्देश्य से। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि अपराध अदालती कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही के संबंध में किया गया था।

11. कैलाश मंगल बनाम में भी ऐसी ही परिस्थितियाँ मौजूद थीं।

रमेश चंद (मृत) कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से, (2015) 15 एस. सी. सी. 729 और नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य और अन्य, (2019) 3 एस. सी. सी. 318, जिन पर इस न्यायालय ने बांदेकर ब्रदर्स (उपरोक्त) मामले में भरोसा किया था। कैलाश मंगल में, यह आरोप लगाया गया था कि उस मामले में अपीलार्थी ने दीवानी अदालत के समक्ष झूठा हलफनामा दायर किया था। दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतिवादी ने आई. पी. सी. की धारा 193 और 419 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए धारा 340, सी. आर. पी. सी. के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की। डिवीजन बेंच ने कहा कि:

" 10. तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से दायर किया गया झूठा हलफनामा दीवानी अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही में था और अपराध आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत आता है और

लिखित शिकायत [2021] 2 एस. सी. आर. पर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी।

उस अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत। चूँकि अपराध है

कहा जाता है कि किसी कार्यवाही के संबंध में या उसमें प्रतिबद्ध किया गया है

दीवानी अदालत, इकबाल सिंह मारवाह का मामला लागू नहीं होता है तत्काल मामला "।

(जोर दिया गया)

इसलिए, इस न्यायालय ने कैलाश मंगल में स्पष्ट रूप से कहा कि

चूँकि दस्तावेज़ एक कार्यवाही के दौरान दायर किया गया था जो पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित था, इसलिए अपराध को इस उद्देश्य के लिए ऐसी कार्यवाही के संबंध में किया गया कहा जा सकता है: धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी। अपराध और न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के बीच उचित संबंध की आवश्यकता उस मामले में स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी।

11.1 नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) में, अपीलार्थी ने

एक निजी शिकायत दायर की गई जिसमें तर्क दिया गया कि प्रतिवादी अधिकारियों ने अपीलार्थी द्वारा दायर अवमानना याचिका में एक झूठा कारणदर्शक हलफनामा प्रस्तुत किया था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले को खारिज कर दिया। खंड पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) अपराध की एक अलग श्रेणी को शामिल करती है और इसलिए यह धारा 195 (1) (बी) (आई) से अलग है। अतः सच्चिदानंद सिंह (उपर्युक्त) लागू नहीं होंगे, और

निजी शिकायत के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता था। हालाँकि, उस मामले के तथ्यों पर, यह फिर से एक ऐसी स्थिति थी जिसमें पहली बार में, न्यायालय को कथित रूप से कुछ झूठे साक्षयों के आधार पर एक राय बनाने के लिए राजी किया गया था जो उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो वे पहले से ही कार्यवाही में पक्षकार थे। यह वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स है।

12. वास्तव में, इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सचिदा भी

नंद सिंह (ऊपर) और इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) को जाली दस्तावेजों के संबंध में शिकायतें शुरू करने के लिए निजी पक्षों के अधिकार को संतुलित करने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दीवानी मुकदमों के पक्षकारों की सुरक्षा की गई थी। तुच्छ या परेशान करने वाले अभियोजन। उपर्युक्त निर्णयों में से किसी में भी इस न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्षय गढ़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत शुरू करने के लिए वर्तमान मामले में प्रतिवादी जैसी जांच एजेंसी के अधिकार को संरक्षित करने के विशिष्ट मुद्दे पर आधिकारिक रूप से विचार नहीं किया है।

13. इसलिए मुख्य बिंदु, जैसा कि पैरा संख्या में उल्लेख किया गया है। 6 & 6.1 ,

यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत जांच के चरण के दौरान, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही शुरू होने से पहले, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जो अभी तक ट्रायल भीमा राजू प्रसाद के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं है।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

अदालत, क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत बार के उद्देश्य के लिए ऐसी कार्यवाही के संबंध में किया गया अपराध है?

14. "के संबंध में" शब्दों के निर्माण को धारा 195 (1) (बी), सीआरपीसी पर लागू व्यापक सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जैसा कि पटेल लालजिभाई सोमाभाई (सुप्रा) और सचिदा नंद में कहा गया है।

सिंह (ऊपर), जिसे इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) मामले में संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी। अर्थात्, भले ही अपराध अदालत में मनगढ़ंत साक्षय देने से पहले किया गया हो, इसका अदालती कार्यवाही के साथ प्रत्यक्ष या यथोचित रूप से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

15. बांदेकर ब्रदर्स (ऊपर) में निर्णय को देखते हुए, है

बशर्ते कि इस तरह के साक्षय का नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अदालत की कार्यवाही में पक्षकार है, जिसका उद्देश्य अदालत को एक निश्चित राय बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह के साक्षय के आधार पर। धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत संज्ञान लेने के खिलाफ प्रतिबंध तब भी लागू हो सकता है जब कोई व्यक्ति जो शुरू में अदालत की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, कुछ सबूत गढ़ता है, और

1) बाद में एक पक्षकार बन जाता है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

या;

2) ऐसे साक्षय के बल पर न्यायालय के समक्ष एक गवाह के रूप में झूठा बयान देता है, कार्यवाहियों के परिणाम के लिए एक बिंदु सामग्री पर न्यायालय को गलत राय बनाने के उद्देश्य से।

बाद की अदालती कार्यवाही के साथ सीधा संबंध। एक अप्रत्यक्ष सांठगांठ है जैसे कि अगर जांच एजेंसी को किसी गलत काम का संदेह नहीं है, और अदालत मुकदमे के लिए मामला प्रतिबद्ध करती है, तो अदालत के अवलोकन के लिए सबूत पेश किए जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया। हालाँकि, यह समान रूप से संभव हो सकता है कि भले ही मनगढ़ंत साक्षय पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाले प्रतीत हों,

जाँच एजेंसी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही बंद कर सकती है और रास्ता बदल सकती है

इसका समय और संसाधन कहीं और हैं। इसलिए, अपराध कभी भी अदालती कार्यवाही के चरण तक नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा, अगर बाद में यह पता चलता है कि सबूत को गलत तरीके से पेश किया गया था, तो यह जांच एजेंसी होगी जिसे नुकसान उठाना पड़ेगा और एक नई जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए, हालांकि अपराध वह है जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को प्रभावित करता है

1] 2 एस सी आर।

न्याय का प्रशासन, यह जाँच एजेंसी है, न कि न्यायालय,

जो ऐसी परिस्थिति में पीड़ित पक्ष है। 17. इस संबंध में, हम इकबाल सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त राय के हिस्से का उल्लेख करना फायदेमंद समझते हैं।

मारवाह (ऊपर) के रूप में धारा 195 (1) (बी) (ii), सीआरपीसी की एक संकीर्ण व्याख्या इसके कार्यान्वयन में अव्यावहारिकता या अन्याय से बचने के लिए क्यों आवश्यक थी:

" 23 ..... शिकायत दर्ज करने से पहले, अदालत प्रारंभिक जांच कर सकती है और इस आशय का निष्कर्ष दर्ज कर सकती है कि

न्याय के हित में समीचीन है कि धारा 195 (1) (बी) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध की जांच की जानी चाहिए। इस समीचीनता का निर्णय आम तौर पर अदालत द्वारा इस तरह के जालसाजी या जाली दस्तावेज से प्रभावित व्यक्ति को हुई चोट की मात्रा को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाएगा, बल्कि इस तरह के अपराध के प्रभाव या प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्याय के प्रशासन पर पड़ता है। यह संभव है कि इस तरह के जाली दस्तावेज या जालसाजी से किसी व्यक्ति को इस अर्थ में बहुत गंभीर या पर्याप्त नुकसान हो सकता है कि वह उसे बहुत मूल्यवान संपत्ति या स्थिति या इसी तरह से वंचित कर सकता है, लेकिन ऐसा दस्तावेज केवल अदालत में पेश किए गए या साक्षय में दिए गए साक्षय का एक टुकड़ा हो सकता है, जहां भारी सबूत पेश किए गए हों और न्याय के प्रशासन की व्यापक अवधारणा पर इस तरह के साक्षय का प्रभाव न्यूनतम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय न्याय के हित में शिकायत करना समीचीन नहीं समझ सकता है। खंड (ख) (ii) का व्यापक दृष्टिकोण, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रचार किया गया है, ऐसे जालसाजी या जाली दस्तावेज का शिकार होगा।

बिना उपचार के। कोई भी व्याख्या जो ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहां किसी अपराध के पीड़ित को उपचार से वंचित कर दिया जाता है, उसे त्याग दिया जाना चाहिए। 24. एक और विचार है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 की उप-धारा (1) में प्रारंभिक जांच कराने पर विचार किया गया है। आम तौर पर, अदालत के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिकायत दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जाता है और यह उस स्तर पर किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अंतिम निर्णय दिया जाता है। धारा 341 शिकायत दर्ज करने के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। अपील की सुनवाई और अंतिम निर्णय में समय लगना तय है। धारा 343 (2) शिकायत की सुनवाई करने वाली अदालत को मामले की सुनवाई स्थगित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है यदि यह उसके संज्ञान में लाया जाता है कि भीम राजू प्रसाद बनाम।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

न्यायपालिका में आए फैसले के खिलाफ अपील लंबित है।

कार्यवाही जिसमें से मामला सामने आया है। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रावधान, शिकायत का मामला दशकों तक आगे नहीं बढ़ सकता है

अपील के निर्णय तक मामले को स्थगित कर दिया जाता है। ये प्रावधान दिखाएँ कि, वास्तव में, शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

न्यायालय द्वारा ऐसा है कि यह वास्तविक मुकदमे में सफल नहीं हो सकता है

असामान्य रूप से लंबी अवधि के लिए अपराधी। ए के अभियोजन में देरी

सबूत देने में हिचकिचाते हैं और सबूत खो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है विचार हमें व्यापक व्याख्या को स्वीकार करने से रोकता है

खंड (ख) (ii) पर रखा जाना चाहा गया।

XXX

व्याख्या जो एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहाँ एक व्यक्ति ने आरोप लगाया खंड (ख) (ii) में उल्लिखित प्रकार का अपराध किया है।

शिकायत दर्ज न करने के कारण या तो मुकदमे के लिए नहीं रखा जाता है

या यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंचती है।

इस तरह के कोण से निर्णय लेना सिद्धांत के अनुरूप होगा। कि एक अव्यवहारिक या अव्यवहारिक परिणाम से बचा जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

यह संभव है कि अदालतें बनाने में अधिक सक्रिय हों।

धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के तहत शिकायतें संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा किए गए आवेदन पर, निजी एजेंसियों द्वारा पसंद की जाने वाली शिकायतों की तुलना में पार्टियाँ। पूर्व सार्वजनिक अधिकारी होने के नाते उनके दावों की जांच करने में अधिक विश्वास का आनंद लेंगे। इसलिए, संविधान पीठ द्वारा इकबाल सिंह मारवाह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (2) के संकीर्ण निर्माण को अपनाने के लिए दिए गए उपरोक्त कारण वर्तमान मामले में सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं। तथापि, संविधान पीठ द्वारा निर्धारित वैधानिक व्याख्या के सामान्य सिद्धांत इस प्रकार नहीं होने चाहिए -

उपेक्षा की गई। यह विशेष रूप से दिया गया है कि न्यायालय ने धारा 195 (1) (बी) (ii) पर अलग से विचार नहीं किया, बल्कि धारा 195 (1) (बी) के तहत योजना का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.1 एक निजी पक्ष की तरह जो अदालत के परिसर के बाहर की गई जालसाजी का शिकार हुआ है, जांच एजेंसी

जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से झूठे साक्षय पेश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

इसके अलावा, वर्तमान मामला पीसी अधिनियम के तहत किए गए कथित अपराधों से संबंधित है। लोक हित और प्रतिष्ठा

अगर भ्रष्ट लोक सेवकों को सुविधा दी जाती है तो राज्य को काफी नुकसान होगा।

तृतीय पक्षों द्वारा अपनी संपत्ति को जांच से छिपाने में। इसलिए कोई भी व्याख्या जो त्वरित और प्रभावी परीक्षण के खिलाफ है

ऐसे लोगों से बचना चाहिए। 17.2 वर्तमान मामले जैसी स्थितियों में धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के तहत प्रतिबंध के लागू होने से दो परिदृश्य हो सकते हैं। द.

पहला वह है जिसमें जांच एजेंसी, झूठी/मनगढ़ंत सामग्री के आधार पर मामले को छोड़ देती है। इसके बाद, यह उनके संज्ञान में लाया जाता है कि सबूत गलत थे। दूसरा, जांच एजेंसी

उसी स्तर पर संदेह होता है कि उनके सामने पेश की गई सामग्री नकली या जाली प्रकृति की है। दोनों परिदृश्यों में, न्यायालय को कथित रूप से मनगढ़ंत साक्षय पर विचार करने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि अपराध के संबंध में मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अतः न्यायालय के लिए स्वतंत्र रूप से शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता का पता लगाना संभव नहीं होगा।

यह जाँच एजेंसी है जो यह सत्यापित करने और साबित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि क्या ऐसा झूठ किस माध्यम से और किस उद्देश्य के लिए किया गया है। 17.3 यदि धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत प्रतिबंध जांच के दौरान किए गए अपराधों पर लागू होता है, तो न्यायालय

यह मूल्यांकन करने के लिए कि शिकायत की जानी चाहिए या नहीं, मुकदमे के पूरा होने तक इंतजार करना उचित समझते हैं। तत्पश्चात, न्यायालय की राय हो सकती है कि चीजों की बड़ी योजना में जांच के दौरान साक्षय के कथित मनगढ़ंत होने का मुकदमे पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है, और उसी के लिए अभियोजन शुरू करने से इनकार कर दिया है। जांच एजेंसी

एक मौका लेने और प्रत्येक मामले में निचली अदालत द्वारा अपनी राय बनाने की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इससे अपराधी को आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध को छिपाने के लिए और झूठ गढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है।

मूल अपराध। इसके अलावा, इस तरह के संभावित प्रभाव के बावजूद

निचली अदालत द्वारा बनाई गई राय पर गलत साक्षय हो सकता है, जांच एजेंसी को एक आपराधिक भीमा राजू प्रसाद बनाम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में बाधा डालने के प्रयास के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का एक अलग अधिकार है।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

अपराध। इस प्रकार, हमारा विचार है कि जोर देना अव्यावहारिक होगा। न्यायालय द्वारा धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत लिखित शिकायत दर्ज करने पर,

ऐसी स्थिति में सीआरपीसी।

18. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपरोक्त राय व्यक्त की गई है।

हमारे द्वारा तथ्यगत स्थितियों तक सीमित है जैसे कि वर्तमान मामला जिसमें मुकदमा शुरू होने से पहले मनगढ़ंत साक्षय का पता चला है, या इस तरह के मुकदमे को शुरू किए बिना। उदाहरण के लिए, यह लागू नहीं हो सकता है, जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए झूठे साक्षय के आधार पर जांच एजेंसी गलत तरीके से काम करती है।

वास्तविक अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशेष अपराध के लिए आरोपित करें। तत्पश्चात, न्यायालय विचारण कार्यवाही के दौरान अन्वेषण प्रक्रिया में इस तरह के दोष का न्यायिक नोटिस ले सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत शिकायत कर सकता है। चूंकि इस चरण तक, साक्षय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और इसमें निर्दोषता पर न्यायालय की राय के गठन को सीधे प्रभावित करने की क्षमता है।

या अभियुक्त व्यक्ति का अपराध, धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत प्रतिबंध लगाने से बहुत कठिनाई नहीं हो सकती है। हालाँकि, इस मोड़ पर, हम इस पहलू पर कोई निर्णायक निष्कर्ष निकालने से इनकार करते हैं, क्योंकि वर्तमान अपील के तथ्यों के लिए हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह इस न्यायालय की भावी पीठों के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि वे इस मुद्दे को सुलझाएँ यदि यह उनके सामने आता है।

19. इस संबंध में, हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि

तीन-अरविंदवीर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ का निर्णय। पंजाब राज्य और एक अन्य, (1998) 6 एस. सी. सी. 352 वर्तमान मामले से। उस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि जांच अधिकारी स्वयं

(उसमें अपीलार्थी सहित) ने एक वकील का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी

और उसके परिवार को, और इस अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाया। झूठा आरोपी व्यक्ति से जुड़ा मामला पहले ही मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध था जब इस अदालत ने पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई रिट कार्यवाही में सीबीआई को एक स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया [पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन]। चंडीगढ़ अपने सचिव के माध्यम से v. पंजाब राज्य और अन्य, (1994) 1 एस. सी. सी. 616]। इसके बाद, सी. बी. आई. द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, इसे निचली अदालत के समक्ष आवश्यक चालान दायर करने का निर्देश दिया गया [पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम। पंजाब राज्य और

अन्य, (1996) 4 एससीसी 742)]। इसके बाद सी. बी. आई. ने उस मामले में आई. पी. सी. की धारा 193 और 211 के तहत नामित निचली अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

अरविंदवीर सिंह के मामले में इस अदालत ने स्पष्ट किया कि चालान [2021] 2 एस. सी. आर. होना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपहरण और हत्या के अपराध के संबंध में सी. बी. आई. द्वारा सीधे दायर किया गया। जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 193 और 211 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है,

संबंधित यह नामित निचली अदालत का काम था कि वह अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत करे। हालांकि, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत "संबंध में" के दायरे और दायरे पर चर्चा नहीं की। इसके अलावा, चूंकि यह निर्णय इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले से पहले दिया गया था, तीन-न्यायाधीश पीठ को उस मामले में की गई टिप्पणियों को संदर्भित करने का लाभ नहीं मिला। इसलिए अरविंदवीर सिंह के फैसले का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे शामिल थे।

III. क्या "न्यायिक कार्यवाही का चरण" के तहत

आई. पी. सी. की धारा 193 का स्पष्टीकरण 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत "किसी भी अदालत में कार्यवाही" का पर्याय है।

20. अंतिम बिंदु जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह आई. पी. सी. की धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 का प्रभाव है जो एक जांच मानता है।

धारा के प्रयोजनों के लिए "न्यायिक कार्यवाही का एक चरण" होने के लिए न्याय न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही के लिए प्रारंभिक। इस तरह का प्रावधान लागू होता है, भले ही वह जांच न्यायालय के समक्ष न हो। यह इस सवाल को जन्म देता है कि क्या जांच के दौरान किया गया अपराध, जो स्पष्टीकरण 2, धारा 193, आई. पी. सी. के तहत "न्यायिक कार्यवाही का एक चरण" है, धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के तहत "किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के संबंध में" किया गया अपराध होगा। 20.1 आई. पी. सी. की धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति जो आई. पी. सी. के समक्ष गलत साक्षय बनाता है।

मामले की सुनवाई से पहले जांच या पूछताछ करने वाला प्राधिकारी दंड से नहीं बचता है। इसमें कार्यवाही की सभी प्रकृति शामिल है, चाहे

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धारा 200, सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में गलत सबूत देता है, तो वह निस्संदेह गलत होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत न्यायालय के समक्ष किया गया अपराध। हालाँकि, यह वह मामला नहीं होगा जहाँ न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमे के लिए किए जा रहे मामले से पहले एक जांच अधिकारी के सामने गलत सबूत पेश किए जाते हैं।

भीमा राजू प्रसाद बनाम। स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

20.2 धारा 195 (1) (बी), सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य और उद्देश्य को यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या गलत साक्षय का निर्माण किया गया है। न्यायिक कार्यवाही के एक चरण के दौरान ऐसा करने के बराबर है

न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में मनगढ़ंत रचना। पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि धारा 195 (1) (बी) का उद्देश्य कुछ अपराधों के संबंध में शिकायत करने के अधिकार को जनता तक सीमित करना है। सेवकों, या संबंधित न्यायालय के लिए, क्योंकि उन्हें एकमात्र पक्ष माना जाता है जो उन अपराधों से सीधे तौर पर व्यथित या प्रभावित होता है।

इसके अलावा, धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य के लिए, कथित अपराधी की ओर से सीधे गुमराह करने का इरादा होना चाहिए।

न्यायालय के अधीन अपराध करके एक निश्चित राय बनाने के लिए

आई. पी. सी. की धारा 193। यद्यपि आपराधिक जाँच निश्चित रूप से न्यायिक कार्यवाही का एक चरण है जहाँ तक कि यह अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया और मुकदमे के जारी होने में समाप्त हो सकता है, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत किसी निश्चित न्यायालय के संबंध में कार्यवाही नहीं होगी, इससे पहले कि न्यायालय ने ऐसी जाँच का न्यायिक नोटिस भी लिया हो। इस संबंध में न्यायिक कार्यवाही के एक "चरण" और न्यायिक कार्यवाही के बीच के अंतर पर जोर दिया जाना चाहिए।

21. हम इसके कुछ निर्णयों में अंतर करना आवश्यक समझते हैं।

न्यायालय जिन्होंने इस बिंदु पर हमारी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए "न्यायिक कार्यवाही" और "किसी भी न्यायालय में कार्यवाही" शब्दों के बीच संबंध पर निर्णय दिया है। लालजी हरिदास बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1964) 6 एस. सी. आर. 700, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या भारतीय आय के तहत एक आयकर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही

कर अधिनियम, 1922 1898 संहिता की धारा 195 (1) (बी) के तहत किसी भी अदालत में कार्यवाही होगी, जो उस संहिता की संबंधित धारा थी -

धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी। 1922 के अधिनियम की धारा 37 (4) में प्रावधान किया गया है कि आयकर प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को ऐसा माना जाएगा -

" आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत न्यायिक कार्यवाही (और न कि केवल ऐसी कार्यवाही का एक चरण)। यह इस संदर्भ में था कि संविधान पीठ के बहुमत (के. सी. दासगुप्ता जे., असहमति जताते हुए) ने कहा कि

1922 के अधिनियम के तहत "न्यायिक कार्यवाही" और धारा 195 (1) (बी), 1898 संहिता के तहत "किसी भी अदालत में कार्यवाही" वाक्यांश समानार्थी हैं।

अतः, आयकर अधिकारी के समक्ष शपथ पर दिए गए झूठे बयान के संबंध में एक निजी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

21.1 बबीता लीला और एक अन्य वी। भारत संघ, (2016) 9 एस. सी. सी. 647, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसी तरह विचार किया

[2021] 2 एस. सी. आर. पर दिए गए झूठे बयानों के संबंध में धारा 195 (1) (बी), सी. आर. पी. सी. के तहत शिकायत करने के लिए आयकर उप निदेशक का अधिकार क्षेत्र।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयोजित एक तलाशी अभियान के दौरान शपथ। इस मामले में चर्चा मुख्य रूप से इस बात से संबंधित थी कि क्या उप निदेशक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (4) के तहत शिकायत करने के लिए अधिकृत सक्षम अपीलीय प्राधिकरण होगा। हालांकि, डिवीजन बेंच ने लालजी हरिदास का जिक्र करते हुए एक सहायक टिप्पणी की कि

इस तरह के तलाशी अभियान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत एक "न्यायिक कार्यवाही" माना जाता है और यह कि संबंधित आयकर प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के उद्देश्य के लिए एक दीवानी अदालत माना जाएगा। यह धारा 196 के तहत किए गए स्पष्ट प्रावधान के अनुसार है।

1961 एक्ट करें।

21.2 चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम। महाराज सिंह और एक अन्य, (1982) 1 एस. सी. सी. 466, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इस मुद्दे का सामना करना पड़ा कि क्या 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. आई. पी. सी. की धारा 193,199 और 201 के तहत शिकायत पर रोक लगाएगी।

यू. पी., शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के तहत किराया नियंत्रण अधिकारी के समक्ष हलफनामे में बयान। उपर्युक्त आयकर कानूनों के समान, 1972 के अधिनियम की धारा 34 (2) में प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या अधिनियम के तहत जांच करने वाले निर्धारित प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय माना जाएगा। 1898 संहिता की धारा 480 और 482 के अर्थ के भीतर। इसके अलावा, ऐसे प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत न्यायिक कार्यवाही होगी।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि 1972 के अधिनियम के तहत, किराया नियंत्रण अधिकारी को इन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था -

जिला मजिस्ट्रेट। इसलिए, 1972 के अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत किए गए विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, किराया नियंत्रण अधिकारी को भी एक दीवानी अदालत माना जाएगा और उसके समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी। इसलिए, यदि ऐसी कार्यवाही के दौरान कोई गलत सबूत दिया गया था, तो केवल किराया नियंत्रण अधिकारी था

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत उसी की शिकायत करने के लिए अधिकृत। अन्यथा भी, मामले के तथ्यों पर, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ था और कहा कि "दुखी और हताश वादियों को आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को सस्ते में लागू करके अपनी हताशा को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए" (चंद्रपाल सिंह, (ऊपर), पैराग्राफ 14)।

21.3 उपरोक्त चर्चा से यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कुछ मामलों में यह राय दी है कि जहां कानून पहले की कार्यवाही मानता है

"न्यायिक कार्यवाही" होने के लिए एक निश्चित प्राधिकरण को धारा 195 (1) (बी) (आई), भीमा राजू प्रसाद बनाम के तहत "किसी भी अदालत में कार्यवाही" के रूप में माना जाएगा।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

सीआरपीसी। इसलिए, यदि आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध ऐसे प्राधिकरण के समक्ष किया जाता है, तो उस प्राधिकरण की लिखित शिकायत है - अपराध के मुकदमे के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक। हालाँकि, लालजी हरिदास (ऊपर), बबीता लीला (ऊपर) और चंद्रपाल सिंह (ऊपर) में निर्णयों के तथ्य वर्तमान अपील से स्पष्ट रूप से अलग हैं।

इन सभी में शामिल हैं 1) शपथ या शपथ पत्र में दिए गए झूठे बयान, 2) न्यायिक कार्यवाही में और 3) एक प्राधिकरण के समक्ष जिसे स्पष्ट रूप से कानून के तहत "अदालत" माना जाता है। पूर्व उद्धृत मामलों में से कोई भी एक के तहत एक जांच प्राधिकरण के समक्ष साक्षय के निर्माण से संबंधित नहीं था

दंडात्मक कानून।

22. वर्तमान मामले में, जब्त की गई मुद्रा की वसूली के अनुसार

24.01.2001 पर अपीलार्थी के घर से, प्रत्यर्थी ने उसके खिलाफ पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत जांच शुरू की। अभियुक्त सं। 2 और 3, अपीलार्थी के कहने पर, पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. को दिनांकित 4.02.2002 पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि जब्त की गई मुद्रा अपीलार्थी द्वारा पक्षों के बीच एक एस्क्रो व्यवस्था के हिस्से के रूप में रखी गई थी। इसलिए, उन्होंने मांग की कि आरोपी नंबर 2 को पैसे वापस किए जाने चाहिए। उन्होंने अतिरिक्त रूप से एक

गलत बिक्री विलेख दिनांकित 24.01.2001 और कुछ लेखा बहियों में

समर्थन

उनके दावे पर। इस स्तर पर आई. डी. 1 दिनांकित पत्र में निचली अदालत की कोई भागीदारी नहीं थी और बिक्री विलेख का स्पष्ट रूप से उद्देश्य जांच एजेंसी को यह समझाना था कि अपीलार्थी ने आय से अधिक वित्तीय संपत्ति जमा नहीं की थी। यदि प्रत्यर्थी ने इस पत्र की सामग्री की सत्यता को स्वीकार कर लिया होता, तो वे न केवल अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 के खिलाफ जांच को छोड़ देते, बल्कि

जब्त की गई मुद्रा को गलत तरीके से इस गलत धारणा के तहत वापस कर दिया कि यह अभियुक्त संख्या 2 की संपत्ति थी। अभियुक्त संख्या 2 ने तब अपीलार्थी के खराब तरीके से अर्जित लाभ को वापस करने में सुविधा प्रदान की होगी।

उसकी अभिरक्षा। अधिकारियों को कोई समझदारी नहीं होगी और रुपये का नुकसान होगा। 80 राजकोष से लाखों रडार के नीचे चले गए होंगे।

22.1 इसलिए वर्तमान मामले में, यह विचारण न्यायालय नहीं है, बल्कि

प्रत्यर्थी प्राधिकारी/अभिकरण जो अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा साक्षय के मनगढ़ंत निर्माण के कारण सीधे प्रभावित हुआ हो। अपीलार्थी '

इरादा निचली अदालत को गुमराह करने का नहीं था, कम से कम पहली बार में तो नहीं। बल्कि, उनका लक्षय यह सुनिश्चित करना था कि अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 को जाँच के चरण में ही गलत काम से मुक्त कर दिया जाए। आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत आरोप लगाए जाने के बाद अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने निचली अदालत के समक्ष काल्पनिक एस्क्रो व्यवस्था की कहानी को दोहराया ताकि वे निर्दोष साबित हो सकें। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध [2021] 2 एस. सी. आर.

अपीलार्थियों द्वारा आई. पी. सी. की धारा 193 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत अपराध किया गया था। " दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत अदालत में कार्यवाही के संबंध में।

22.2 धारा 2 (i), सी. आर. पी. सी. "न्यायिक कार्यवाही" को किसी भी कार्यवाही को शामिल करने के रूप में परिभाषित करती है जिसके दौरान साक्षय कानूनी रूप से है या हो सकता है।

शपथ द्वारा लिया गया। पी. सी. अधिनियम के तहत जांच स्वीकार्य रूप से धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 के आधार पर न्यायिक कार्यवाही का एक चरण था।

आईपीसी. हालाँकि, न तो वर्तमान मामले में मनगढ़ंत साक्षय जांच अधिकारी के समक्ष शपथ पर दिया गया था, और न ही पी. सी. अधिनियम के तहत जांच प्राधिकरण को धारा 195 (1) (बी), सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य के लिए "अदालत" माना जाता है। अतः लालजी हरिदास (ऊपर) और चंद्रपाल सिंह (ऊपर) के निर्णय वर्तमान में लागू नहीं होंगे।

मामला। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पी. सी. अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा की गई जांच को धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. के तहत कानून की अदालत में कार्यवाही के बराबर नहीं माना जा सकता है, हालांकि इसे आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत न्यायिक कार्यवाही का एक चरण माना जाता है।

22.3 यदि यह ऐसा मामला होता जिसमें प्रत्यर्थी ने ऐसा नहीं किया होता

अभियुक्त संख्या के खिलाफ कोई संदेह विकसित किया। 2 और 3, और मुकदमा अदालत ने बाद में उनके कारण हुए छल का पता लगाया था, हमने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा। जैसा कि हमने पैराग्राफ 18 (उपरोक्त) में उल्लेख किया है, जहां साक्षय का मनगढ़ंत होना जांच एजेंसी की जांच से बच गया है, और मामले को बाद में मुकदमे में लाया जाता है, ऐसे साक्षय का सीधा असर निचली अदालत की राय पर होगा और इसलिए धारा 195 (1) (बी) (आई), सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध लागू हो सकता है।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, जाँच एजेंसी प्रारंभिक चरण में आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध का पता लगाने के लिए पर्याप्त दूरदर्शी रही है। इसलिए, जैसा कि हमने पैराग्राफ 17.3 (ऊपर) में कहा है, इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा एक स्वतंत्र जांच और लिखित शिकायत की आवश्यकता पर जोर देना अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक होगा।

ऐसा परिदृश्य।

23. इस प्रकार, पैराग्राफ 6 (ऊपर) में बताए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ दिया जाता है। यहां तक कि गुणों पर भी, हम नहीं करते हैं

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण ढूंढें। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. के लिए एस्क्रो में धन रखने का बचाव नहीं किया था। 2 और 3 24.01.2001 पर उनके घर पर तलाशी के समय। बिक्री का कथित समझौता इसका उत्पादन भी नहीं किया गया। यह बचाव अभियुक्त संख्या द्वारा उठाया गया था। 2 और 3 जब्त की गई मुद्रा की बरामदगी के लगभग एक साल बाद, 4.02.2002 पर अत्यधिक विलंबित स्तर पर, हालांकि अपीलार्थी ने भीमा राजू प्रसाद v के साथ पत्राचार किया था।

स्टेट, आरईपी। डिप्टी सूप द्वारा। पुलिस विभाग [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

मई-जून, 2001 में अभियुक्त सं. 2। आचरण के सामान्य क्रम में यह असंभव है कि एक व्यक्ति राशि का दावा करने के लिए इतना लंबा इंतजार करेगा

लगभग रु। 80 जो बिक्री लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक था। जिस स्टाम्प पेपर पर बिक्री विलेख बनाया गया था, वह भी अवैध साबित हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने एक विस्तृत साजिश रची और एक झूठी साजिश रचने का प्रयास किया।

अपीलार्थी को बचाने के उद्देश्य से एस्क्रो लेनदेन की परिस्थिति /

अभियोजन पक्ष से अभियुक्त संख्या 1। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों/अभियुक्तों को उनकी अधिक उम्र और मुकदमे को पूरा करने में देरी को देखते हुए दी गई सजा को कम करके बहुत नरमी दिखाई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस संबंध में उन्हें आगे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

24. पैराग्राफ 6 (ऊपर) में तैयार किए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:

धारा 195 (1) (बी) (आई), सी. आर. पी. सी. आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जांच एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगाएगी।

जो जाँच के चरण के दौरान किया जाता है। यह प्रावधान किया गया है कि जांच एजेंसी ने कार्यवाही शुरू करने और निचली अदालत के समक्ष ऐसे सबूत पेश करने से पहले आईपीसी की धारा 193 के तहत शिकायत दर्ज की है या मामला दर्ज किया है। ऐसी परिस्थिति में, इसे या उसके संबंध में किया गया अपराध नहीं माना जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के प्रयोजन के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए। 24.1 तदनुसार अपीलों को कानून और गुण-दोष दोनों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को अपीलार्थियों द्वारा पहले से गुजारी गई कारावास की अवधि, यदि कोई हो, के खिलाफ निर्धारित किया जाएगा। अपीलार्थियों को सेवा करने के लिए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है

यदि वे पहले से ही हिरासत में नहीं हैं, तो उनकी बाकी सजा को समाप्त कर दें। रजिस्ट्री को आगे इस न्यायालय के समक्ष जमा किए गए जुर्माने की राशि, यदि कोई हो, को शीघ्रता से जारी करने का निर्देश दिया जाता है। यदि जुर्माने का कोई बकाया शेष है, तो अपीलकर्ता चार से अधिक की अवधि के भीतर इसका भुगतान करेंगे।

इस आदेश की तारीख से सप्ताह।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान